फार्म क्रमांक–

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

वितरक सह–परिवहनकर्ता (मार्ग क्रमांक 01) हेतु निविदा–प्रपत्र

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर–474005

दूरभाष क्रमांक– 0751–2368107

फैक्स नम्बर– 0751–2366981

E-mail: [illegible]

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500/–

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

गोला का मंदिर,ग्वालियर फोन नं. 2368107

निविदा सूचना (अल्पकालीन) पांचवा आमंत्रण

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के अन्तर्गत ग्वालियर शहर के दुग्ध वितरण मार्ग कमांक 01 पर **वितरक सह–परिवहनकर्ता**के कार्य हेतु इच्छुक वाहन मालिकों एवं एजेन्सियों सेनिविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क.	निविदा का संक्षिप्त विवरण	कार्य अवधि	वाहन का प्रकार एवम् मॉडल	वाहन की क्षमता	निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि
1.	**वितरक सहपरिवहनकर्ता**, ग्वालियर मार्ग कमांक–01	2 वर्ष	इन्सुलेटेड वाहन 2014 या बाद का	न्यूनतम 2.5 टन	50,000 / –

निविदा प्रपत्र गोला का मंदिर कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 17.09.18 दोपहर 12.30 बजे तक राशि रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं, भरे हुयें निविदा प्रपत्र दिनांक 17.09.18 को दोपहर 1.30 तक जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त निविदाऐं दिनांक17.09.18 को ही अपरान्ह 2.30 बजे खोली जावेगी। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा । निविदाओं का विस्तृत विवरण WWW.[illegible]पर भी देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

रेजीडेन्सी रोड,गोला का मंदिर,ग्वालियर (म. प्र.)

वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

क्रमांक	विवरण	वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु
1–	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 500.00 (पांच सौ मात्र)
2–	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.09.2018 दोपहर 12.30 बजे तक
3–	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवम् समय	दिनांक 17.09.2018 दोपहर 1.30 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 17.09.2018अपरान्ह 2.30 बजे दुग्ध संघ कार्यालय, गोला का मंदिर, ग्वालियर
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	रू. 50,000/– (रू. पचास हजार मात्र) डी.डी./बैंकर्स चेक''ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर'' के नाम से पेयबल एट ग्वालियर देय हो ।
6–	ठेका हेतु 'तकनीकी अर्हताऐं' का प्रारूप	प्रपत्र–01
7–	ठेके की सामान्य शर्ते	प्रपत्र–02
8–	भाव पत्र / दर प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र–03

fufonk izLrqr djrs le; /;ku j[kk tkos fd %& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

- प्रपत्र 1 'तकनीकी अर्हताऐं' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 'निविदा की शर्ते'' बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए एवं लिफाफे पर प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 'तकनीकी अर्हतायें' लिखा जाए ।
- प्रपत्र क्रमांक 3 'भाव पत्र / दरें'पृथक से बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए एवं इस लिफाफे पर 'भाव पत्र / दरें' लिखा जावे ।
- उक्त दोनो बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जाए । 'तकनीकी अर्हताऐ' में सफल निविदाकार के ही 'भाव पत्र / दरें वाले लिफाफे खोले जाएगे । निविदाकार लिफाफे के उपर अपना नाम एवं पता स्पष्ट से अंकित करें ।
- प्रपत्र क्रमांक 02 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जाएगी ।

चेक लिस्ट

तकनीकी अर्हता वाले लिफाफे में प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 02 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करें :–

1– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 के सम्बन्ध में संस्था के रूप में आवेदन प्रस्तुत करने पर पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पार्टनरशिप डीड तथा संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधिकार पत्र की छाया प्रति संलग्न करें **(एकल आवेदक (व्यक्तिगत आवेदक) को यह संलग्न करना आवश्यक नही हैं)।**

2– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 04 के सम्बन्ध में पेन कार्ड की छाया प्रतियॉ पेन कार्ड प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

3– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 05 एवं प्रपत्र क्रमांक 02 के बिन्दु क्रमांक 08 के सम्बन्ध में जी.एस.टी. नम्बर की छाया प्रति या जी.एस.टी. हेतु प्रस्तुत चालान की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें ।

4– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 06 एवं प्रपत्र क्रमांक 02 के बिन्दु क्रमांक 06 के सम्बन्ध में उपलब्ध वाहन के पंजीयन की छाया प्रति अथवा नया वाहन क्रय करने की स्थिति में स्वंय का शपथ पत्र संलग्न करें ।

5– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 07 के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छाया प्रति संलग्न करें ।

6– प्रपत्र क्रमांक 01 के बिन्दु क्रमांक 08 के सम्बन्ध में कर निर्धारण वर्ष 2017–18 (वित्तीय वर्ष 2016–17) का आयकर विभाग में रिर्टन जमा करने की पावती सहित छाया प्रति संलग्न करें ।

7– प्रपत्र क्रमांक 02 के बिन्दु क्रमांक 09 के सम्बन्ध में संघ में अर्नेस्टमनी राशि रूपये 50,000.00 का डी.डी. या संघ में नगद जमा करने पर प्राप्त रसीद की छाया प्रति संलग्न करें ।

नोट :– प्रपत्र क्रमांक 03 में केवल दरें प्रस्तुत करें कोई अन्य दस्तावेज संलग्न न करें ।

प्रपत्र–01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

महोदय,

दुग्ध वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक 08.09.18 को पत्रिका में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं । यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ । अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक........... ....दिनांक........................जो कि,..बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर कार्यालय में रसीद क्रमांक.. ....दिनांक.............................से नगद जमा की है।

तकनीकी अर्हताऐं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1–	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था / फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र
2–	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3–	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4–	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है ।		पेन कार्ड की छाया प्रति/ आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें ।
5–	जी.एस.टी. नम्बर		जी.एस.टी. नम्बर की छाया प्रति/आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें ।
6–	उपलब्ध वाहन का प्रकार/नया वाहन खरीदनें की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें ।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति अथवा नया वाहन क्रय करने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करें ।
7–	बैंक का नाम व खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छाया प्रति लगावें ।
8–	वित्तीय वर्ष 2016–17 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18) अथवा वित्तीय वर्ष 2017–18 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		पेन कार्ड, आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कापी

नोट :– 1– उक्त समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य हैं तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य हैं ।

2–**तकनीकी अर्हताओं सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 1, निविदा की शर्तेप्रपत्र क्रमांक–2 एक साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र –3 सील बंद पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी । उक्त दोनों बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत किये जाएंगे।** पहले ''तकनीकी अर्हता'' पूर्ण करने वाले निविदाकारों का ही निविदा दर सम्बन्धी लिफाफा खोला जाएगा ।

3– उपरोक्त 8 जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

पता– ....

....

पिन कोड़ नम्बर – ....

फोन नम्बर – ....

मोबाईल नम्बर – ....

ई–मेल पता– ....

सॉची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1– दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत दिनांक को समय सीमा मे प्राप्त हो जाना चाहिये ।

2– निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा की उनके द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं, शर्तो एवम् अनुबंध आदि का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है ।

3– निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

4– यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दर प्रस्तुत की जाती है तो प्रथमतःनवीनतम माडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। परन्तु एक समान परिस्थिति में निविदा दर समान होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

5– निविदाकार के पास स्वयं का वर्ष 2014 या बाद का इन्सयूलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी या पफ इन्सूलेशन) होना आवश्यक है। यदि स्वयं के वाहन में इन्सूलेटेड बॉडी नही है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 30 दिन में इन्सूलेटेड बॉडी बनवाकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रबन्ध पक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर संघ कार्यालय में जमा करानी होगी। वितरण वाहन मे जी.पी.एस.सिस्टम लगवाना होगा। नया वाहन क्रय करने की दशा में शपथ–पत्र देना होगा एवं निविदा स्वीकृति दिनांक से 30 दिवस में नया वाहन में इन्सूलेटिड बॉडी का उपलब्ध कराना होगा। वितरण कार्य आरम्भ करने के पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों एवम् वाहन का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा कराना होगी ।

6– निविदाकार आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा।

7– .निविदाकार के पास जी.एस.टी. नम्बर होना अथवा जी.एस.टी. नम्बर हेतु आवेदन करने का साक्ष्य आवश्यक है।

8– निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार)डी.डी. (**"ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित"** के नाम देय) नगद अर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

9– निविदा स्वीकार होने की स्थिति मे निविदाकार को शीतलीकरण सहित दूध के भंडारण की व्यवस्था करना आवश्यक है ।

10– निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारण से कार्य नहीं करने पर निविदाकार कीअर्नेस्टमनी राजसात कर ली जावेगी ।

11– निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में 15 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य है । Security Deposite रू. 2,00,000/–(रू. दो लाख) तथा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर के नाम की हस्ताक्षरित फिक्स डिपोजिट रू. 3,00,000/–(रू. तीन लाख) जमा करना अनिवार्य हैं । निर्धारित अवधि मे Security Deposite जमा न करने पर अर्नेस्टमनी रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) राजसात की जा सकेगी।

12— वितरक सह परिवहनकर्ता को रेखांकित चैक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है । वितरक को दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की सम्पूर्ण राशिRTGS/NEFTद्वारा प्रतिदिनसंघ खाते में जमा करना अनिवार्य होगा तब ही दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सम्भव होगी ।

13— वितरक सह परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम(एफ.एस.एस.ए.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवम् लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा । लाईसेन्स की छाया प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना होगा ।

14— निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।

15— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर के पास संघ हित में आवश्यकता अनुसार दर चर्चा का अधिकार सुरक्षित होगा।

16— निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

17— किसी भी निविदा को बिना कारण बताऐ निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।

18— निविदाकार/आवेदक द्वारा दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं । निविदा अवधि में डीजल दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव वितरक सह परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर में भी दिया जाएगा ।

19— निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें ।

20— निविदा स्वीकृति के उपरान्त वितरक सह परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आदेश दिनांक से दो वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी । दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य दो वर्षो की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके तीन वर्ष हेतु और बढ़ाई जा सकेगी ।

21— निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी जिसका संघ द्वारा प्रथम से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा ।

22— कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

23— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्ड़ल के सदस्यों को स्वयं उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके निकटस्थ रिश्तेदारों एवम् सुरक्षा ठेकेदार/श्रमिक ठेकेदार को निविदा भरनें की पात्रता नहीं होगी ।

24— संघ में जो वितरक वर्तमान में कार्यरत् हैं यदि उनके द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती हैं तो निविदा खुलने के दिन उनके ऊपर कोई भी राशि बकाया होने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । पूर्व में जिन वितरक सह परिवहनकर्ताओं का कार्यकाल दुग्ध संघ में सन्तोषजनक (यथा भुगतान में विलंब, पूर्व का कोई बकाया होना, वितरण में अनियमितता की गंभीर शिकायतें होना आदि) नहीं रहा है उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

25– संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता वितरक मार्जिन 20 पैसे प्रति लीटर देय होगा (अन्य व्यय देय नहीं होगा) । प्रपत्र 3 में केवल परिवहन दर प्रति लीटर अंकित की जावे । वितरक मार्जिन में यदि संघ द्वारा वृद्धि की जाती है तो जिस दिनांक से निर्णय/ आदेश जारी किया जावेगा उस दिनांक से बढ़ी दर से वितरक मार्जिन देय होगा ।

26– संघ द्वारा नैरोलाईन वितरक नियुक्त किया जाना है। वितरक सह–परिवहनकर्ता को नैरोलाईन वितरक को प्रथमतः ही उसके नियत/संघ द्वारा निर्देशित स्थल पर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा । जिस पर निविदा में स्वीकृत परिवहन दर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद पर प्रति लीटर/किलो ग्राम मान के आधार पर देय होगा।

मेरे/हमारे द्वारा सॉची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/ हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूं/ हैं । निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं । यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम बिन्दु क्रमांक 01 से 26 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूँ/करते हैं एवं मेरी/हमारी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै/हम इस हेतु सहमति देता हूँ/देते हैं।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

पता ....

....

पिन कोड़ नम्बर ....

फोन नम्बर ....

मोबाईल नम्बर – ....

ई–मेल पता– ....

प्रपत्र क्रमांक–3

सॉची वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु दर प्रपत्र :–

1– आवेदक का नाम ....

2– पिता / पति का नाम ....

...

3– स्थायी पता (प्रमाण सहित) ....

....

....पिन कोड ....

स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीन पास–पोर्ट साईज फोटो चस्पाकरें ।

मोबाईल नम्बर .... दूरभाष क्रमांक ....

पेन कार्ड नम्बर .... ई–मेल पता ....

4– आवेदित मार्ग ....

5– निविदा में ग्वालियर मार्ग क्रमांक .... के लिए निम्नानुसार दरें प्रस्तुत करता हूॅ –

क्रमांक	**विवरण**	**प्रस्तावित दर (रूपये / पैसे) प्रति लीटर**	
		अंको में	**शब्दों में**
1	परिवहन दर		
2	वितरक मार्जिन	20 पैसे	बीस पैसे
	कुल मार्जिन (1+2)		

नोटः– यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दर प्रस्तुत की जाती हैं तो प्रथमतः नवीनतम माडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। परन्तु एक समान परिस्थिति में निविदा दर समान होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

दिनांक .... हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

पता– ....

....

पिन कोड़ नम्बर – ....

फोन नम्बर – ....

मोबाईल नम्बर – ....

ई–मेल पता– ....

वितरक सह–परिवहनकर्ता अनुबंध (ग्वालियर शहर)

यह अनुबंध आज दिनांक........................को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, एवं मैसर्स / श्री..ग्वालियर द्वारा पार्टनर श्री..
.........से बतौर दूध के वितरक सह परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक......
................के लिए दिनांक...........................से दिनांक.................................. तक अवधि वास्ते अनुबन्धित कर हस्ताक्षरित किया गया है । इन्हें आगे बतौर वितरक सह–परिवहनकर्ता के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । इस अनुबन्ध के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य सम्पादित करेंगे ।

1– यह अनुबन्ध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा । यदि वितरक सह–परिवहनकर्ता इस अनुबन्ध के तहत कार्य नही करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबत देना होगा ।

2–वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ के पास राशि रूपये 2,00,000 / (रू. दो लाख) तथा रू. 3,00,000 / – (रू. तीन लाख) की ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के संयुक्त नाम की हस्ताक्षरित फिक्स डिपॉजिट बतौर Security Deposite जमा कराई जावेगी । दुग्ध संघ में जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3– वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई Security Deposite , वितरकशिपअवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद Security Deposite वापस करने की कार्यवाही की जाएगी ।

4– वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह–परिवहनकर्ता के पास भार क्षमता न्यूनतम 2.5 टन का इन्सूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

5– वितरक सह–परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरम्भ करने से पूर्व संघ कार्यालय में वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो पंजीकरण, परमिट, फिटनेश आदि का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।

6– वितरक सह परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि मे वितरक सह–परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण वश वितरक सह परिवहनकर्ता संघ से अनुबन्धित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक हैं तथा वाहन के विक्रय / बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह–परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

7– वितरक अपने वाहन का बीमा, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा कार्यरत् ड्रायवर एवं परिचारक, क्लीनर का बीमा कराने हेतु बाध्य रहेगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर Security Deposite जप्त की जा सकेगी । दुग्ध संघ की दुर्घटना अथवा अन्य किसी भी स्थिति में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेंगी ।

–2–

8— वितरक की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेश मोटरयान अधिनियम में प्रावधानों के अन्तर्गत अद्यतन रखे अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगां

9— वितरक सह परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवम् उनका दुर्घटना बीमा करना होगा ।

10— वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक मार्ग के वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोड़िग/अनलोड़िग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा । एक ही लेबर से एक से अधिक मार्ग के वाहनो में लोड़िग/अनलोड़िग करते पाये जाने पर रूपये 100/— (सौं रूपये) प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जावेगा। अधिकृत वाहन चालक एवम् परिचारक के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को वाहन में नहीं लाया जावेगा, ऐसा पाये जाने पर प्रति व्यक्ति प्रति प्रकरण रूपये 500/— (पांच सौ रूपये) वसूल किये जा सकेगे।

11— वितरक सह परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवम् लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स की छाया प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना होगा ।

12— वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ को जमानत बतौर रेखांकित चैक बुक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में अग्रिम जमा कराना अनिवार्य है । वितरक को दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की सम्पूर्ण राशिप्रतिदिन (सुबह—शाम मिलाकर) RTGS/NEFT द्वारा प्रतिदिन संघ खाते में जमा करना अनिवार्य होगा तब ही दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सम्भव होगी ।प्रतिदिन RTGS/NEFT द्वारा दुग्ध संघ के खाते में जमा राशि की पुष्टि हेतु UTR नं. विपणन शाखा के सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे इंटरनेट बैंकिग की सर्वर डाउन होने अथवा लेनदारी लम्बित होने आदि की स्थिति में वितरक सह—परिवहनकर्ता की संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा । इस हेतु वितरक को अपने बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि रखना होगी ताकि चैक अनादरित न हो यदि प्रदायित माल के मूल्य एवम् प्राप्त राशि में कोई अन्तर रहता हैं या घट—बढ़ होती है तो उसका समायोजन आगामी दिन के भुगतान में करना होगा ।

13— वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के द्वारा बताये गये बैंक में जैसे— आई.डी.बी.आई बैक, एस.बी.आई. बैक एवम् महाराष्ट्र बैक में ही खाता खोलना वांछनीय होगा एवम् उसी खाते के रेखांकित चैक बुक (दुग्ध संघ के हित में) उपलब्ध कराये जावेगे ।

14— वितरक सह—परिवहनकर्ता के किसी भी धनादेश के अनादरित होने पर धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ अर्थदंड की राशि रू. 1000.00 वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।

15— वितरक के खाते में लम्बित राशि की वसूली हेतु बैंक में जमा किये गये धनादेश यदि कई बार अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तदपश्चात् यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

16— बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वर डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण लिखित में उपलब्ध कराने पर संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा ।

—3—

17– राशि जमा न होने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे–खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के तहत् भुगतान प्राप्त करने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा संघ में जमा Security Deposite/बैंक ग्यारंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग–अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

18– वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक .... पर स्थित सॉची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रो (जिनकी संख्या दुग्ध संघ द्वारा समय –समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं) पर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । जो कि बानमौर डेयरी प्लांट बानमौर से आखिरी पाईन्ट तक अधिकतम तीन घन्टे होगी। निर्धारित समय – सीमा में दूध वितरण सम्पन्न नहीं किये जाने पर रूपये 50/– (पचास रूपये) प्रति घन्टा की दर से अर्थदण्ड़ आरोपित किया जा सकेगा एवम् कोई रिर्टन स्वीकार नहीं किया जावेगा। किन्तु यदि किसी प्राकृतिक–अप्रत्याशित घटना के/प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में संघ द्वारा प्रकरण पर वस्तुस्थिति के दृष्टिगत् निर्णय लिया जावेगा । वितरक सह परिवहनकर्ता के स्वयं के स्तर पर किसी कारण से वितरण में विलम्ब होता हैं एवम् उसके कारण दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं तो ऐसे दूध की सम्पूर्ण राशि वितरक सह परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी। वितरक सह परिवहनकर्ता अन्य मार्गो के विक्रय केन्द्रों पर वितरण नहीं करेगा। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो रू. 500/–(पांच सौ रूपये) का अर्थदण्ड़ प्रतिदिन आरोपित किया जा सकेगा ।

19– वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध एवम् दुग्ध उत्पाद एक्स डेयरी डाक बानमौर संयत्र पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दुग्ध उपलब्ध नहीं करा पाता हैं तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जानें के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा ।

20– वितरक सह परिवहनकर्ता डेयरी डाक से प्राप्त किये गये सॉची दूध का विपणन कार्य सिर्फ इन्श्यूलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही करना वितरक के लिये अनिवार्य होगा । वितरण वाहन में वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जी.पी.एस.सिस्टम लगाया जाना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वितरण वाहन में जी.पी.एस.सिस्टम लगाया जाकर उसकी राशि का कटौत्रा वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जा सकेगा। निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगी जिसका संघ द्वारा प्रथम से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा ।

21– यह कि मार्ग क्रमांक.........पर श्री..वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में .... पैसे प्रति लीटर परिवहन दर पर कार्य करेंगे । वितरक मार्जिन का निर्धारण दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित किया जावेगा ।

–4–

22— यदि वितरक सह परिवहनकर्ता की वाहन डेयरी में नहीं आती है एवम् उसके द्वारा अन्य मार्ग की वाहन से दूध ले जाया जाता है तो केवल 20 पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन का ही भुगतान किया जावेगा। इस मार्ग हेतु उस दिन का परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

23— वितरक सह परिवहनकर्ता एजेन्टो की दूध एवं दुग्ध पदार्थो की मांग अनुसार पूर्ण रूप दूध दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर प्रदाय की व्यवस्था करेगा । एजेंटो की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहें कर्मचारी अपने मर्जी से नहीं घटायेगे / बढ़ायेगे।

24— संघ द्वारा नैरोलाईन वितरक नियुक्त किये जाने की स्थिति में वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रथमतः ही उसके नियत/संघ द्वारा निर्देशित स्थल पर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा । जिस पर निविदा में स्वीकृत परिवहन दर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद पर प्रति लीटर/किलो ग्राम मान के आधार पर देय होगा।

25— वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक को संघ द्वारा उसकी मांग अनुसार प्रदाय किये गये सम्पूर्ण दूध/दुग्ध उत्पाद को सुरक्षित स्थिति में डेयरी संयंत्र बानमौर से लाकर ग्वालियर शहर में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित एक स्थान पर निर्धारित समय मे प्रदान कर नैरोलाईन वितरक से पावती प्राप्त करना होगा। डेयरी संयंत्र बानमौर से नैरोलाईन वितरक के प्रदाय किये गये दूध/दुग्ध उत्पाद के पैकिटों में किसी भी कमी के लिये वितरक सह परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से जबाबदेह होगा एवम् कम प्रदाय किये गये दूध एवम् दुग्ध उत्पाद की राशि का कटौत्रा सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जावेगा । पुनरावृत्ति होने पर अर्थदण्ड रू. 500.00 प्रतिबार भी अधिरोपित किया जा सकेगा ।

26— वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ के डेयरी संयत्र से मांग अनुसार दुग्ध पैकिट छाटकर, गिनकर, जांच कर ग्रहण करेगे एवम् प्राप्ति देगे, तत्पश्चात् लीकेज, कमी इत्यादि के लिये दुग्ध संघ जिम्मेवार नहीं होगा। दुग्ध प्रदाय उपरान्त परिवहन में होने वाली लीकेज हानि की जिम्मेवारी वितरक की होगी किसी भी प्रकार की वापसी मान्य नही की जावेगी। यदि गुणवत्ता, पैकिंग या अन्य आकस्मिक कारणों से कोई दूध वापसी होती हैं तो दोनो पक्ष, आपसी सहमति से उसका निराकरण करेगे। वितरक वापसी दूध की गुणवत्ता स्वयं अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के सामने चैक करा सकता हैं बाद में संघ द्वारा मान्य की गयी मात्रा एवम् गुणवत्ता ही मान्य होगी।

27— यह कि प्रत्येक माह के अन्त में उभय पक्ष दूध प्रदाय एवम् उसकी राशि का हिसाब किताब का मिलान करेंगे एवम् माह के अन्तिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती हैं, वह वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जमा कराई जायेगी। लगातार दो माह वितरक द्वारा मिलान न करने पर संघ अनुसार जो राशि लेना देना निकलती हैं, वह मान्य होगी।

28— वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ से प्राप्त क्रेटस/केन्स आदि उसी दिन संघ द्वारा निर्धारित समय पर प्रदाय की गयी सम्पूर्ण क्रेटे एवम् केन डेयरी संयत्र में जमा करावेगा एवम् उसका पूर्ण लेखा — जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जबाबदार रहेगा।

केन/क्रेटस का लेखा — जोखा प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में मिलान करना होगा प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में केन/क्रेटस बकाया होने पर क्रय मूल्य के आधार पर केन/क्रेट की

राशि की वसूली हेतु वितरक का चैक संघ द्वारा अपने बैंक खाते में लगाया जावेगा एवम् तदोपरान्त यह राशि वापिस नहीं की जावेगी ।

वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक को प्रदाय की गई समस्त क्रेट/केन उसी दिन प्राप्त कर दुग्ध संयंत्र में जमा करानी होगी एवम् नैरोलाईन वितरक से प्रत्येक 15 दिवस के अंदर केन/क्रेटस का मिलान करना होगा । प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लेखा–जोखा की एक प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगी । वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक द्वारा माह में कम जमा की गई क्रेट/केन की जानकारी का पत्रक अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर दुग्ध संघ को देना आवश्यक होगा।

29– वितरक सह परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण – रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरूद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिये दुग्ध संघ उत्तरदायी नही होगा।

30– वितरक सह परिवहनकर्ता अपने मार्ग पर यदि कोई नई एजेन्सी या विक्रय केन्द्र खोल सकता है जिसकी लिखित सूचना उसे दुग्ध संघ को देना होगी ।

31– वितरक सह परिवहनकर्ता के मार्ग में स्थित केन्द्र प्रभारियों को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व वितरक सह परिवहनकर्ता का होगा। किसी भी बूथ एजेन्ट द्वारा उसे प्रदायित माल की राशि न देने पर दूध प्रदाय करने, या न करने हेतु वितरक स्वतन्त्र है किन्तु किसी भी बूथ का दूध बन्द करने की जानकारी वितरक द्वारा संघ को पूर्व में देना होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रो द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।

32– वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के विक्रय केन्द्रों को ही दूध एवं दुग्ध प्रदायगी की जायेगी। समय–समय पर दुग्ध संघ वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र में विक्रय वृद्धि हेतु समय–समय पर जो लक्ष्य दिये जावेंगे उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पानें पर इस बाबत् प्रबन्ध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता बाध्य होगा ।

33–समय–समय पर दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या उसे दिये समय–समय पर दिशा–निर्देशों का जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिये आवश्यक हैं, नहीं कर पा रहा हैं, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबन्ध की कंडिका क्रमांक 32 (जो विक्रय लक्ष्य सम्बन्धी हैं) के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

34– वितरक द्वारा वितरण वाहन मे केवल सांची दूध एवम् दुग्ध पदार्थो का परिवहन एवम् वितरण किया जावेगा । वितरण वाहन मे किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवम् दुग्ध

पदार्थ एवम् प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नही किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक शिप निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा ।

35– वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टो के बीच उठे विवादों को वितरक सह परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य किसी प्रकार की रूकावट न आने दें ।

36– वितरक सह–परिवहनकर्ता एवम् नैरोलाईन वितरक के बीच किसी भी विवाद को दोनों पक्ष शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करेंगे। विवाद ना सुलझने पर यह विवाद आर्बीटेंशन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जावेगा एवम् उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों का मान्य एवम् बन्धनकारी होगा।

37– संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत् लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा । ऐसे व्यक्ति का संघ संयत्र परिसर में प्रवेश वर्जित होगा । इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जाने पर वितरक सह– परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन बिना नोटिस के दिये, निरस्त करने हेतु पूर्ण– रूपेण संघ स्वतन्त्र होगा ।

38– वितरक सह परिवहनकर्ता से जो भी राशि वसूली किया जाना अनुबन्ध की शर्तो में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक सह परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि मे से समायोजन कर वसूल की जावेगी ।

39– वितरक सह–परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह परिवहनकर्ता हस्तान्तरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी Security Deposite राजसात कर सकेगा ।

40– दुग्ध संघ सम्बन्धित मार्ग/क्षेत्र स्थित संस्थाओं को सांची दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से वितरण करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जबाबदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी व संस्थाओं में प्रदाय किये गये दूध एवम् दुग्ध पदार्थो का परिवहन देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संस्थाओं को प्रदाय किये जाने वाले दूध की मात्रा पर केवल परिवहन व्यय देय होगा इस हेतु वितरक मार्जिन प्रदाय नहीं किया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा संस्था को प्रदाय की गई मात्रा से संस्था द्वारा पावती कम प्राप्त होने पर कम प्रदाय किये गये दूध की राशि का कटौत्रा वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जावेगा ।

41– वितरक सह परिवहनकर्ताप्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको प्रदाय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा–जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगा ।

42– संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रो पर वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा। यदि किसी कारण वश वितरक सह परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय सम्बन्धित दुग्ध विक्रय केन्द्र पर बंद कर सकेगा । यदि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रूपये 200/– (रू. दो सौ) प्रति दिन प्रति विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक को परिवहन प्रतिपूर्ति स्वरूप राशि संघ वसूल सकेगा ।

43– वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रो एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होंगे ।

44– यह कि वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने वाहन से दूध एवम् दूग्ध पदार्थ के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई हैं यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता जाता है तो प्रति पैकेट एवम् क्रेट/केन के मूल्य की पचास गुना तक राशि अर्थदण्ड स्वरूप काटी जावेगी दूसरी बार पुनरावृत्ति होने पर ठेका समाप्त कर Security Deposite राजसात कर ली जावेगी ।

45– अनुबन्धित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गो के दुग्ध विक्रय के सम्बन्ध मे आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया में अन्तर्गत वितरको के मार्गो के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रो को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

46– संघ द्वारा समय – समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगे वे पत्र / परिपत्र अनुबन्ध के भाग माने जावेगे ।

47– वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध की एक मुश्त प्रदायगी उपरान्त वितरक द्वारा रूट शीट प्रति डिपो/पार्लर/एजेन्सी/सस्था वाईज तैयार करदूध वितरण शीट की एक प्रति विपणन शाखा गोलाका मंदिर कार्यालय में प्रतिदिन दोनो पारियों हेतु उपलब्ध कराई जावेगी । वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक विक्रय केन्द्र को प्रदाय की गई दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की मात्रा का चालान साथ मे देना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर रू. 500/– (रू. पांच सौ) प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा ।

48– यह कि अनुबन्धित अवधि में डीजल की दरो में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की परिवहन दरों में वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी । इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किलो मीटर प्रति लीटर टाटा 608/709 आयशर औसतन 8 किलो मीटर प्रति लीटर के आधार पर गणना की जावेगी

49– यह अनुबन्ध दो वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सहपरिवहनकर्ता का कार्य दो वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबन्ध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक कर तीन वर्ष हेतु और बढ़ाई जा सकेगी ।

50— वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

51— यह कि दोनो पक्षो में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आर्बीटेशन हेतु अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जावेगा एवम् उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवम् बन्धनकारी होगा। आर्बीटेशन की कार्यवाही आर्बीटेशन एण्ड़ कांस्लियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत सम्पादित होगी। इस अनुबंध के अन्तर्गत विषयों के सम्बन्धित उभय पक्षों के मध्य विवादों के सम्बन्ध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवम् न्यायालीन क्षेत्र अधिकार ग्वालियर होगा ।

मैं .... पिता / पति / पत्नी .... वितरक सह—परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक .... अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री / श्रीमती .... निवासी .... को घोषित करता / करती हूँ ।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

वितरक सह—परिवहनकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

नाम ....
पता ....
....
मोबाईल नम्बर...

1. गवाह के हस्ताक्षर..
नाम एवं पता...
....
....

2. गवाह के हस्ताक्षर..
नाम एवं पता...
....

प्रभारी विपणन
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

गोला का मंदिर, ग्वालियर

ग्वालियर दुग्ध वितरण मार्ग क्रमांक 01

क्रमांक	डिपो / पार्लर / एजेन्सी का नाम	वर्तमान दूध विक्रय मात्रा लीटर प्रतिदिन (लगभग)
1—	महाकाली एजेन्सी	6
2—	कक्का पान भण्डार	295
3—	त्रिपाठी किराना	36
4—	गोविंद किराना	24
5—	जैन किराना	22
6—	योगेश किराना	15
7—	दिलीप किराना	52
8—	बल्ली किराना	24
9—	राठौर प्वाइंट	40
10—	दीनदयाल नगर	90
11—	डेयरी कॉलोनी पार्लर	73
12—	ओम डिपो	124
13—	शिवम् किराना	28
14—	तोमर किराना	45
15—	शारदा किराना	5
16—	राठौर सेन्टर	44
17—	सैनिक कॉलोनी	15
18—	एम.एच. पार्लर	10
19—	बी.आई.एम.आर.	6
20—	पार्थ रेस्टोरेन्ट	24
21—	सोनी किराना	12
22—	भूप सिंह	28
23—	आनन्दपुर ट्रस्ट	10
	संस्थाऐं—	
1—	फिजिकल कॉलेज(एल.एन.आई.पी.)	500
2—	सांची फूडप्लाजा	200
3—	मूक बधिर छात्रावास	7
4—	बालक छात्रावास	13
5—	प्रसूति गृह मुरार	16
6—	जिला चिकित्सालय मुरार	36
	योग :—	1800

प्रतिभूति राशि नगद रू. 2,00,000 / — (रू. दो लाख) तथा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के संयुक्त नाम की हस्ताक्षरित फिक्स डिपोजिट रू. 3,00,000 / — (रू. तीन लाख) बतौर प्रतिभूति राशि जमा करना होगी ।